न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (S.D.O), सिवाना

पीठासीन अधिकारीः—श्री दिनेश विश्नोई आर.ए.एस

राजस्व अपील संख्याः—03/2023

अपीलांटः—

कुम्बाराम पुत्र खेताराम जाति भील निवासी कीटनोट तहसील पचपदरा जिला बालोतरा

बनाम

रेस्पोडेंटगणः—

1. सरपंच जरिये ग्राम पंचायत कुण्डल पंचायत समिति सिवाना
2. गोपाराम पुत्र डायाराम जाति भील निवासी कुण्डल तहसील सिवाना जिला बालोतरा

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 आर.एल.आर.एक्ट

उपस्थितः— श्री कैलाशपुरी वकील अपीलान्ट

—:: आदेश ::—

दिनांक :— 09-10-2023

अपीलांट ने यह अपील ग्राम कुण्डल के नामान्तरकरण संख्या 1658 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डल के आदेश दिनांक 20.12.2022 से असंतुष्ट होकर प्रस्तुत की है। अपील के संलग्न अपीलाधीन आदेश की जानकारी विलम्ब से होना अपील के प्रस्तुतीकरण में हुये विलम्ब की वजह बताते हुये धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया।

संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम कुण्डल तहसील सिवाना के खसरा संख्या 999/105 रकबा 05.0100 हैक्टयर में रेस्पोडेण्ट संख्या 2 गोपाराम के 9/176 हिस्सा एवं संगीता के 1/44 हिस्सा की समग्र भूमि अपीलांट ने जरिये रजिस्टर्ड बेचान क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, किन्तु उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1658 दायर करने के दौरान हल्का पटवारी कुण्डल ने संगीता के हिस्से का सही रूप से कुंभाराम के नाम इन्द्राज कर दिया, किन्तु गोपाराम के बेचानशुदा 9/176 हिस्सा के स्थान पर कालूराम पुत्र डायाराम का हिस्सा अपीलांट के नाम प्रस्तावित कर दिया तथा बेचानकर्ता गोपाराम की प्रविष्टि बावजूद समग्र हिस्सा बेचान के नामान्तरकरण मे यथावत रख दी। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ने बगैर दस्तावेजात व जमाबंदी से मिलान किये यथाप्रस्तावित नामान्तरकरण जरिये आदेश दिनांक 19.12.2022 पारित कर दिया। अतः अपीलांट ने अपीलाधीन आदेश [illegible] करते हुए माफिक बेचान नामान्तरकरण पारित करवाने हेतु यह अपील [illegible] की है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.11.03 13:01:05 IST
Reason: SelfAttested

अपील अपीलांट [illegible] बिन्दु सुनवाई [illegible] हुए दर्ज रजिस्टर कर [illegible] रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सम्मन [illegible] के रेस्पोडेण्टस अनुपस्थित रहे।

अपीलांट वकील की बहस सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौरान बहस अपील के तथ्यों को दोहराते हुए पूर्व पारित नामान्तरकरण संख्या 1658 अपास्त

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाडमेर)

करते हुए माफिक बेचान नये सिरे से नामान्तरकरण पारित करवाने हेतु निवेदन किया।

हमने वकील अपीलांट की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन किया। चूंकि अपीलाधीन भूमि का बेचान संगीता और गोपाराम द्वारा अपने समग्र हिस्से किया गया था, किन्तु गोपाराम के स्थान पर कालूराम के हिस्से का नामान्तरकरण में बेचान इन्द्राज कर दिया गया। इस प्रकार सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डल द्वारा पारित आदेश विधिक रूप से त्रुटिपूर्ण होने से प्रारम्भतः शून्य है।

लिहाजा म्याद बिन्दु सुरक्षित रखते हुए ग्राम कुण्डल के नामान्तरकरण संख्या 1658 पर पारित सरपंच ग्राम पंचायत कुण्डल के आदेश दिनांक 19.12.2022 अपास्त किये जाते हैं। प्रकरण इन निर्देशों के साथ तहसीलदार सिवाना को रिमाण्ड किया जाता है कि बेचान दस्तावेज का राजस्व रिकार्ड से मिलान करते हुए माफिक बेचान नामान्तरकरण पारित करने की कार्यवाई करें।

आदेश आज दिनांक 09-10-2023 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सिवाना (बाड़मेर)

(दिनेश विश्नोई)
उपखण्ड अधिकारी
(S.D.O.) सिवाना

उपखण्ड अधिकारी
सिवाना (बाड़मेर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Dinesh Bishnoi
Date: 2023.11.03 13:01:05 IST
Reason: SelfAttested